

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 940]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2017/कार्तिक 29, 1939

No. 940]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2017/KARTIKA 29, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1435(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 124 की धारा (1) के साथ पठित धारा 132 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कोचिन पोर्ट के लिये न्यासीमण्डल द्वारा बनाये गये कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, विरष्ठता एवं पदोन्नित) संशोधन विनियम, 2017 का अनुमोदन करती है एवं इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है।

उक्त संशोधन विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति)

संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 की 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोचिन पोर्ट के न्यासीमण्डल एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन विनियमों को ''कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017'' कहा जा सकता है।
- (ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में समुद्री विभाग के अंतर्गत संलग्न अनुसूची में
 - (1) क्रमांक 12 में ड्रेजिंग मास्टर (मोबाइल ड्रेजर) के पद के लिये:—

6769 GI/2017 (1)

(i) कॉलम 5 में प्रविष्टियों को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"रुपये 20600-46500

(पूर्व संशोधित रुपये 9100-250-15100)"

(ii) कॉलम 8 में प्रविष्टियों को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जारी मास्टर (एनसीवी) प्रमाणपत्र या हार्बर क्राफ्ट नियम 1947 या अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के तहत जारी प्रथम श्रेणी अंतर्देशीय मास्टर प्रमाणपत्र

- (क) एस.एस.एल.सी. के साथ
- (ख) ड्रेजरों / टॉगों में तीन वर्षों का अनुभव मास्टर (एनसीवी) प्रमाणपत्र धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी।"
- (iii) कॉलम 9 में प्रविष्टियों को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''आयु:-नहीं

योग्यता:-नहीं, हालांकि वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जारी मास्टर (एनसीवी) प्रमाणपत्र या हार्बर क्राफ्ट नियम 1947 अथवा अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के तहत जारी प्रथम श्रेणी अंतर्देशीय मास्टर प्रमाणपत्र आवश्यक है।

अनुभव:- नहीं"

- (iv) कॉलम 10 में प्रविष्टियों को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (v) कॉलम 12 में प्रविष्टियों को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"उसी ग्रेड में 5 वर्षों के नियमित सेवा के साथ दूसरे मेट से तथा इसके अभाव में उसी ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ कनिष्ठ मास्टर से पदोन्नति।"

- (2) क्रमांक 13 में मास्टर टॉग पद के लिये:-
 - (i) कॉलम संख्या 5 में प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"रुपये 20600-46500

(पूर्व संशोधित रुपये 10750-16750 एवं रु. 9100-250-15100)"

- (ii) कॉलम संख्या 8 में प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 - "वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जारी विदेश जा रहे जहाज़ में मेट अथवा मास्टर (एनसीवी) के रूप में दक्षता प्रमाणपत्र अथवा पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक समान योग्यता"
- (iii) कॉलम संख्या 9 में प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"आयु:-नहीं

योग्यता:- नहीं, हालांकि दक्षता प्रमाणपत्र, हार्बर क्राफ्ट नियम, 1947 अथवा अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 के तहत जारी प्रथम श्रेणी अंतर्देशीय मास्टर प्रमाणपत्र के रूप में दक्षता प्रमाणपत्र आवश्यक है।

अनुभव:- नहीं''

(iv) कॉलम संख्या 12 में प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''टॉग्स पर 7 वर्षों के नियमित सेवा के साथ किनष्ठ मास्टर तथा इसके अभाव में ड्रेजरों पर 7 वर्षों के नियमित सेवा के साथ दूसरे मेट से पदोन्नति।"

[फा. सं. पीआर-12012/5/2017- पीई -I]

सतिन्द्र पाल सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियम सा.का.नि. सं. 862(अ), दिनांक 28.10.2010 को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात सा.का.नि. सं. 849(अ) दिनांक 25.10.2014, सा.का.नि. सं. 604(अ), दिनांक 31.07.2015, सा.का.नि. सं. .644(अ), दिनांक 30.06.2016 एवं सा.का.नि. 649(अ), दिनांक 01.07.2016 सा.का.नि. सं. 1126(अ) दिनांक 09.12.2016, सा.का. नि. सं. 1151(अ), दिनांक 16.12.2016, सा.का.नि. सं. 211(अ), दिनांक 09.03.2017 एवं सा.का.नि. सं. 306(अ), दिनांक 30.03.2017 को संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

G.S.R.1435(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 124, read with Sub-Section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Cochin Port Trust

Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Port of Cochin hereby makes the following Regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 namely:-

1. Short title and commencement.-

- (i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.
- 2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the Schedule, under the Marine Department.-
 - (1) for the post of Dredging Master (Mobile Dredger) at Serial Number 12:-
 - (i) The entries under Column No. 5 shall be substituted as under:-

"Rs. 20600-46500

(Pre-revised Rs.9100-250-15100)"

- (ii) The entries under Column No. 8 shall be substituted as under:-
 - "Master (NCV) Certificate issued under the Merchant Shipping Act, 1958 or Ist class Inland Masters Certificate issued under Harbour Craft Rules, 1947 or Inland Vessel Act, 1917
 - (a) with S.S.L.C
 - (b) three years experience in Dredgers/Tugs.
 Preference shall be given to Master (NCV) Certificate holders"
- (iii) The entries under Column No. 9 shall be substituted as under:-

"Age: No

Qualification: No. However, Master (NCV) Certificate issued under the Merchant Shipping Act, 1958 or 1st Class Inland Masters Certificate issued under Harbour Craft Rules, 1947 or Inland Vessel Act, 1917 is essential.

Experience: No"

- (iv) The entries under Column No. 10 shall be substituted as under:"2"
- (v) The entries under Column No. 12 shall be substituted as under:-"Promotion from II Mate with 5 years regular service in the grade, failing which from Junior Master with 5 years regular service in the grade."
- (2) For the post of Master Tugs at Serial Number 13:-
 - (i) The entries under Column No. 5 shall be substituted as under:-

"Rs 20600-46500

(Pre-revised Rs.10750-16750 and Rs. 9100-250-15100)"

- (ii) The entries under Column No.8 shall be substituted as under:-
 - "Certificate of Competency as Master (NCV) or Mate of a foreign going ship issued under the Merchant Shipping Act, 1958 or an equivalent qualification recognized by Ministry of Shipping, Government of India."
- (iii) The entries under Column No. 9 shall be substituted as under:-

"Age: No

Qualification: No. However Certificate of Competency as Ist Class Inland Masters Certificate issued under Harbour Craft Rules, 1947 or Inland Vessel Act, 1917 is essential.

Experience: No"

(iv) The entries under Column 12 shall be substituted as under:-

"Promotion from Junior Master with 7 years regular service on Tugs failing which from II Mate with 7 years regular service on Dredgers."

[F. No. PR-12012/5/2017-PE-I]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

Foot Note: Principal Regulations published *vide* G.S.R. 862(E), dated 28.10.2010. Subsequently amended vide G.S.R. 849(E), dated 25.10.2014, G.S.R. 604(E), dated 31.07.2015, G.S.R. 644(E), dated 30.06.2016, G.S.R. 649(E), dated 01.07.2016, G.S.R. No. 1126(E), dated 09.12.2016 G.S.R. 1151(E), dated 16.12.2016, G.S.R. 211(E), dated 09.03.2017 and G.S.R. 306(E), dated 30.03.2017.